फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी/वादी | | अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
राम | बनाम | चन्द्राराम वगैरह

म प्रकरण : वादपत्र | | मुकदमा नं. 143/2021

रेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण हाजा दिनांक 26.07.2021 से लम्बित है तथा प्रकरण में की तलबी हेतु कई अवसर दिये गये। गत तारीख पेशी दिनांक 13.10.2025 को हिदायत के साथ अवसर दिया गया आगामी पेशी पर रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं होने पर प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जावेगा। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना में रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं किये। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वादी को तामील हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर तथा हिदायत के साथ अन्तिम अवसर गत तारीख पेशी पर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 188 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 9 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	